

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा वन प्रभाग ।

पत्रांक-2733/331 दिनांक, गोण्डा, फरवरी- /6 /2016

सेवा में,

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

बैतालपुर देवरिया ।

द्वारा- विक्रय अधिकारी(रिटेल) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन

लि० जानकीनगर बहराइच रोड गोण्डा ।

विषय:- जनपद गोण्डा में बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 58-61 के मध्य ग्राम खिरौरामोहन परगना-तहसील व जिला गोण्डा के अन्तर्गत गाटा संख्या-36 में प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कारपो० लि० के रिटेल आउटलेट के आवगमन में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:-उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- पी-8/14-2-2015-800(9)/2015

दिनांक-05-02-2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित पेट्रोल पम्प सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हुयी है,

उक्त स्वीकृति के कम में विन्दुवार अनपालन आख्या उपलब्ध करायें तथा निम्नलिखित धनराशि जमा करें ।

1- प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.075028 हे० भूमि की एन०पी०वी०(शुद्ध वर्तमान मूल्य ) का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-5-2-2009 के कम में प्रश्नगत स्थल को खुले वन श्रेणी में मानते हुए 7.30 लाख की दर से कुल -54,770.00(चौवन हजार सात सौ सत्तर रुपये मात्र) का भुगतान करें ।

2- क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत 100 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु स्वीकृति के शर्त संख्या-27 के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी गोण्डा द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार कुल-1,63,672.00 (एक लाख तिरसठ हजार छः सौ बाहत्तर मात्र) का भुगतान करें ।

उपरोक्त धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस०बी०-25230, कारपोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में जमा की जायेगी । इसका भुगतान (RTGS/NEFT/DD) के माध्यम से करें ।

(डा०टी०रंगाराजू)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा ।

संख्या- / उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

2- वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त उ०प्र० गोण्डा ।

(डा०टी०रंगाराजू)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा ।